न्यायालय राजस्व ...

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–गुना

देवलाल मृतक द्वारा विधिक वारिसान

1– राममूर्ति पत्नी स्व. श्री देवलाल

2– भैयालाल पुत्र स्व. श्री देवलाल

3– बृजमोहन पुत्र स्व. श्री देवलाल

4– सुरेश पुत्र स्व. श्री देवलाल

5– हरिचरण पुत्र स्व. श्री देवलाल

6– मनोज पुत्र स्व. श्री देवलाल
समस्त निवासी– बमूरिया तहसील राधोगढ़
जिला–गुना (म.प्र.)

7– राजबाई पुत्री स्व. श्री देवलाल पत्नी रामरतन
निवासी–धरनावदा तहसील राधौगढ़ जिला गुना
(म.प्र.)

8– नन्नूलाल पुत्र श्री गेंदीलाल
निवासी– बमूरिया तहसील राधोगढ़ जिला–गुना
(म.प्र.) ...... आवेदकगण

विरूद्ध

नारायण आचार्य पुत्र श्री जेठमल जी आचार्य
निवासी – ग्राम बमूरिया तहसील राधौगढ़
जिला–गुना (म.प्र.) ...... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार राधौगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/ए–70/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (देवलाल / नारायण)

प्रकरण कमांक **निग. 3086—पीबीआर / 2015** जिला **गुना**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-1-16	उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—08—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । दिनांक 27—08—2015 की आदेशिका में नायब तहसीलदार द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाकर अनावेदक द्वारा जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु 15 दिवस का समय चाहे जाने पर अंतिम अवसर दिया गया है, अतः यह निगरानी विधि अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । 2/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—08—2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी औचित्यहीन होने से निरस्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	